

प्रेषक,

सुनीलश्री पांथरी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक कारागार,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग-4

देहरादून : दिनांक 31 जुलाई, 2019

विषय- उप कारागार, हल्द्वानी में टाईप-2 के 45 आवासीय भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक-579/06/निर्माण (2015-16)/2018, दिनांक 10-06-2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयगत निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-240/XX-4/2018-51(कारा0)/2017, दिनांक 27-07-2018 द्वारा स्वीकृत कुल लागत रू0 848.50 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त (40%) की अवमुक्त धनराशि रू0 340.00 लाख का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते हुये अवशेष धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उप कारागार, हल्द्वानी में टाईप-2 के 45 आवासीय भवनों के निर्माण कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2019-20 में निर्माण कार्य की द्वितीय किश्त (लगभग 40%) रू0 340.00 लाख (रू0 तीन करोड़, चालीस लाख मात्र) अवमुक्त कर उक्त शासनादेश दिनांक 27-07-2018 में उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-10 के लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 80-सामान्य 051-निर्माण 02-जेलों का निर्माण/भूमि क्रय-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-254/3(150)-2017/XXVII(1)/2019, दिनांक 29-03-2019 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधायित अधिकारों के क्रम में संलग्न अलॉटमेंट आई0डी0 द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(सुनीलश्री पांथरी)
अपर सचिव